REPORT OF THE OVERSIGHT COMMITTEE, NGT, U.P, LUCKNOW

IN THE MATTER OF:-

ORIGINAL APPLICATION NO. 41/2020

PUSHPENDRA KUMAR

Versus

NAGARPANCHAYAT, KADAURA & ORS.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE	1-4
2.	Annexure - 1	5-21

REPORT OF OVERSIGHT COMMITTEE, NGT IN O.A 41/2020 IN RE: PUSHPENDRA KUMAR VS NAGAR PANCHAYAT KADAURA

[Case disposed of by Hon NGT vide order dated 13.1.2021]

I. Brief background of the case

In this matter, the main issue is restoration of a water body called the main pond (Sadar Bazar) of Kadaura Town, District Jalaun, UP. Moreover, it is stated that such restoration is necessary for access to drinking water. Direction is also sought to stop continuous burning of solid plastic waste, garbage cans, electronics waste, glass inside the residential area of town Kadaura that emits poisonous gases causing severe air pollution.

II.Major Orders by Hon'ble NGT

1. Vide order dated 17.02.2020, a factual and action taken report was sought from the District Magistrate, Jalaun, Orai, U.P and the UP PCB. UPPCB submitted its report dated 18.06.2020 which was considered by Hon'ble NGT on 23.06.2020.

2. The Hon'ble NGT after considering the report stated that "*In view of the pitiable condition of the water body as depicted in the report, remedial action has to be promptly. The State PCB in exercise of its functions and duties may prepare appropriate guidelines for restorations of such water bodies, particularly, in the light of directions of this Tribunal dated 02.06.2020 in O.A No. 325/2015, Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. Union of India & Ors. Concerned State authorities may also perform their duties. It will also be appropriate to involve the village community for the purpose. The UP PCB may provide hand holding to the local body. The restoration of water bodies is significant for protection of environment, for availability of drinking water, recharge of ground water, harvesting of rain water and micro-climate. Let the State PCB file a further action taken report in the matter before the next date.*

3. Accordingly, a further report was filed by the UPPCB on 08.01.2021 stating that an action plan has been prepared by the District Magistrate for restoration of the pond to be executed through a Joint Committee. An inspection was carried out on 21.11.2020 and it

was found that some encroachments had been removed and water sample was being tested.

4. The applicant in person filed objections to the above report on 11.01.2021. In view of the disputed versions obtained from the information made available by the applicant and UPPCB, Hon'ble NGT vide order dated 13.1.2021 disposed of the application and directed that the factual position be verified and further remedial steps be taken by the District Magistrate, Jalaun, Uttar Pradesh. Furthermore, the Oversight Committee constituted by the Tribunal for environmental issues in UP, headed by Justice SVS Rathore, a former Judge of the Allahabad High Court at Lucknow may oversee the compliance.

II. MEETING BY OVERSIGHT COMMITTEE, NGT

The Oversight Committee held its meeting on 05.04.2021 to monitor the compliance of directions of Hon'ble NGT in O.A 41/2020 Pushpendra Kumar vs .Nagar Panchayat Kadaura. The issue in this case relates to encroachment of Sadar Pond in Nagar Panchayat Kadaura Distt., Jalaun. Moreover, untreated sewage was also flowing into the pond. Detailed report submitted by DM, Jalaun is attached as Annexure 1.

The point wise information received by the concerned officers and decisions taken by the Committee are presented below:

1. **Encroachments around Sadar pond**: It was informed by District Magistrate (DM), Kadaura that there are 41 temporary encroachments and 18 permanent encroachments. All 41 temporary encroachments have been removed while for permanent encroachments notices have been issued. In case of permanent encroachments, demolition could not be done because people are residing in it and few have filed cases in the court (Details in Annexure I).Action will be taken by the district authorities as per the Hon'ble court directions. On query, it was informed that in no case the court has issued stay order against demolition. Hence the committee directed the authorities to ensure the removal of permanent encroachment in accordance with law.

2. **Area of pond**: It has been mentioned in the document submitted by DM, Kadaura that an inspection was done by Lekhpal on 19.3.2021 wherein he submitted in writing that the area as specified in Khatauni of pond is 2.678 hectares. However, currently the area of pond was estimated to be 2.538 hectares which suggests that 0.141 is under encroachment.
3. **Tapping/diverting of drains**: It was informed by DM, Kadaura that 5 identified inlet points have been diverted by constructing peripheral drain all around the pond. In order to divert all other drains, Junior Engineer is taking steps for appropriate drainage through some experimental way. Further, regarding Dhamokhra drain, it was submitted that it is not linked with this issue.
4. **Construction of shops**: No illegal construction of shops has been done in the area by Nagar Panchayat. The authorities ensure before construction that area of pond is not encroached upon.
5. **Installation of FSSTP** : It was submitted by DM, Kadaura that construction of an FSSTP is feasible in towns/cities etc. where untreated water can be collected at one point only. The geographical setting of Kadaura is not so and therefore installation of FSSTP is not appropriate. Furthermore, construction of FSSTP is a costly affair. As far as solid waste management in the area is concerned, efforts are being made for setting up MRF centre (Details in Annexure 1).
6. **Drain near Sadar Pond**: Domestic sewer drain near pond has been completely tapped. Regarding the drain near Ramghat, it was informed that it is not possible to tap it by conventional methods so Junior Engineer is discussing about the possible solutions with experts.
7. **Environmental compensation**: U.P. Pollution Control Board has issued show cause notice for imposition of environmental compensation of Rs. 1.82 Crores as Kadaura Nagar Panchayat has not installed sewage treatment plant for the treatment of generated sewage.

III. OBSERVATIONS BY THE OVERSIGHT COMMITTEE

1. DM Jalaun should take action in accordance with the law to remove the 18 permanent encroachments in the area and submit an action taken report in this matter within a month.
2. UPPCB should conduct an on-site inspection of Sadar Pond and submit a detailed report about the drains falling into pond, status of tapping/ diversion and pollution in the pond to the Committee within a month.
3. The applicant has been sending photographs and videos to the Committee showcasing pollution in and around the pond. All these evidences sent by him have been forwarded to DM, Jalaun for explanation and action. District authorities should examine these immediately and submit a report with documentary evidences.
4. UPPCB should file a report before the committee regarding status of recovery of environmental compensation of Rs.1.82 crores without any further delay.
5. DM, Jalaun must apprise the Committee if any effort has been made regarding phyto-remediation of drains.
6. The District authorities must submit a compliance status report with timeline regarding setting up of MRF centre.

The Member Secretary, UPPCB is directed to send this report to the Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for placing the same before the Hon'ble Tribunal with a copy to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh for necessary action. The report also be uploaded on the website of the Committee.

25-05-2021

X Anup Chandra Pandey

Dr Anup Chandra Pandey
Member, Oversight Committee
Signed by: ANUP CHANDRA PANDEY

25-05-2021

X SVS Rathore

Justice SVS Rathore
Chairman, Oversight Committee
Signed by: SURENDRA VIKRAM SINGH RATHORE

May 25, 2021

Annexure: As above

Please visit our website: ***oscngt.upsdc.gov.in*** for more information.

Annexure-1

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्री एल0एन0सोनी,
प्रधान निजी सचिव,
मा0 चेयरमेन,
ओवरसाइट कमेटी,
मा0राष्ट्रीय हरित नयाधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या 1899/ओ0एस0डी0/न्या० दिनांक मार्च 31, 2021

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0जी0टी0) नई दिल्ली के ओं0ए0 संख्या 41/2020 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष योजित ओ0ए0 संख्या 41/2020 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा के पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) से स्थलीय जॉच कराई गयी। अपर जिलाधिकारी(वि0एवं रा0) द्वारा उपलब्ध कराई गयी बिन्दुवार अनुपालन एवं अद्यावधिक स्थलीय जॉच आख्या दिनांक 26.01.2021 संलग्न कर प्रेषित हैं। आख्या समिति के संज्ञानार्थ प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्त।

भवदीया

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी, जालौन।

कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान–उरई।

पत्र संख्या 784 / एस0टी0–अ0जि0 / ALBA उरई: दिनांक 26 मार्च, 2021

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

OSD
27/3/21
DM

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी, जालौन

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 41/2020 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदोरा व अन्य में दिनांक 13.1.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री एल0एन0सोनी पी0पी0एस0 द्वारा मा0 अध्यक्ष ओवर साईट कमेटी एन0जी0टी0 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र पर पारित अपने पृष्ठांकन आदेश दिनांक 15.3.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कुमार याची के प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.3.2021 की प्रति संलग्न करते हुये केस ओ0ए0 नम्बर 41/2020 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम नगर पंचायत कदौरा में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 13.1.2021 का अनुपालन कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र पर आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष ओ0ए0सं0 41/2020 पुष्पेन्द्र कुमार वनाम नगर पंचायत कदौरा एवं अन्य वाद योजित है जिसमें नगर पंचायत कदौरा द्वारा मा0 न्यायाधिकरण के समक्ष वर्णित कथनानुसार कार्यवाही की गई है एवं अन्य आवश्यक उपचारात्मक कार्य किये जा रहे हैं, जिसकी प्रगति से क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड झांसी एवं उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है। चूंकि याची द्वारा NGT में वादयोजित किया गया इसलिये तार्किक दृष्टि से NGT के निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिये क्योंकि मा0 न्यायाधिकरण द्वारा सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री एस0वी0एस0 राठौर एवं जिलाधिकारी महोदय को तथ्यात्मक सूचना एवं कार्यवाही हेतु नामित किया गया है जिसकी सतत निगरानी एवं कार्यवाही की समीक्षा महोदया द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 17.03.2021 को क्षेत्रीय लेखपाल, नायब तहसीलदार कालपी एवं तहसीलदार कालपी तथा अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत कदौरा के साथ विवादित सदर तालाब का निरीक्षण किया एवं निर्देश के कम में Action Taken Plan निम्नवत तैयार की गई:–

बिन्दु सं0 1– सदर तालाब में हुए स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उपजिलाधिकारी कालपी के द्वारा गठित राजस्व टीम एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित सात सदस्यीय प्राधिकारियों की सयुक्त समिति में लिए गये निर्णय के अनुसार उक्त तालाब पर कुल 41 अस्थायी अतिक्रमण एवं 18 स्थायी अतिक्रमण चिन्हित किये गये थे जिसमें से सभी अस्थायी अतिक्रमण गठित समिति एवं नगर पंचायत कदौरा द्वारा हटा दिया गया है। साथ ही 18 स्थायी अतिक्रमणकारियों में से कुछ अतिक्रमणकारियों ने सिविल जज (जू0डि0) कालपी में वाद संख्या 119/2020 व 122/2020 मा0 न्यायालय में वाद दायर हुए है एवं नगर पंचायत कदौरा द्वारा भी पी0पी0 एक्ट के तहत न्यायालय नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि–रा) जालौन में वाद दायर किया जा चुका है उक्त निर्णय

आने पर स्थायी अतिक्रमणों पर अग्रेतर विधिसंगत कार्यवाही की जायेगी। शिकायतकर्ता का यह कहना कि नगर पंचायत कदौरा द्वारा झुकावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है मनगढन्त एवं भ्रामक है।

(सुलभ संदर्भ हेतु फोटो संलग्न)

बिन्दु सं0 2– याची/शिकायतकर्ता द्वारा सदर तालाब के क्षेत्रफल को लेकर जो शिकायत की गयी है। उसके सन्दर्भ मे सादरं अवगत कराना है कि दिनांक 17.03.2021 को आपके द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में दिनांक 19.03.2021 को क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा लिखित रूप से यह अवगत कराया है कि "मौके पर जाकर पैमाइस की गयी जिसमें सदर तालाब की गाटा सं0 586 का नॉन.जेड.ए.खतौनी में अंकित क्षेत्रफल 2.679हे0 है। नक्शा में अंकित भूचित्र की पैमाईस करने पर उक्त रकवा पाया गया है किन्तु मौके की पैमाईस करने पर उक्त तालाब का क्षेत्रफल 2.538हे0 पाया गया है यानि उक्त गाटा पर 0.141हे0 में स्थाई अतिक्रमण पाया गया है।

बिन्दु सं0 3– नगर पंचायत कदौरा द्वारा जो पेरिफेरियल ड्रेन का निर्माण कराया गया है उसके द्वारा 5 छोटी–छोटी नालियों का इनलेट समाप्त हो गया है जिससे उसके द्वारा जाने वाला अपमिश्रित जल तालाब में जाना बन्द हो गया है। आगे का नाला डायवर्ट करने हेतु अवर अभियन्ता के द्वारा सम्यक जल निकासी के लिए प्रायोगिक तौर पर कार्य कराया जा रहा है जिससे कि पानी की निकासी से आम जनमानस के घर प्रभावित न हो। यह कार्य भी अपने अन्तिम चरण में है। उक्त क्रम में महोदय के यह भी संज्ञान में लाना समाचीन प्रतीत हो रहा है कि नगर पंचायत कदौरा बहुत छोटी संस्था है जहॉ वित्तीय संशाधन अत्यन्त अल्प है और कोविड महामारी के कारण उक्त समस्या और भी जटिल हो गयी है, इसलिए एक विस्तृत कार्ययोजना आप के माध्यम से शासन को भिजवाए जाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

बिन्दु सं0 4– याची/शिकायत कर्ता का यह कथन कि तालाब के प्रदूषित जल को दमोखरा नहर के माध्यम से वेतवा नदी में प्रदूषित जल ले जाया जाता है जो अन्ततः यमुना नदी को प्रदूषित करता है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर का अपमिश्रित/घरेलु उत्यप्रवाह नालों से निकास करता हुआ आगें बढता है जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा नाला टैपिंग हेतु प्राविधान किये गये है तथापि वित्तीय संसाधन के अभाव में योजना पूर्णतया साकार नहीं हो पा रही है। जिस दमोखरा नहर का उल्लेख शिकायत कर्ता द्वारा किया गया है वह वस्तुतः नाला है जो नगर से 2 कि0मी0 दूर है एवं वेतवा नदी तो नगर से लगभग 20 कि0मी दूर है जो कई गावों के बाद प्रवाहित हो रही है। स्पष्ट है कि प्रकरण को याची/शिकायतकर्ता द्वारा योजनावद्व तरीके से लिंकअप किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पूर्व समय में जब तालाब का पानी निकाला जा रहा था तो उसी पानी से कई किसानों के द्वारा अपने खेतों की सिचाई करने का भी काम किया है।

बिन्दु सं0 5– नगर पंचायत वित्तीय संसाधन वृद्धि के उद्वेश्य से दुकानों का निर्माण करा रही है जिसकी विधिवत पुष्टि उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाता है सदर तालाब के क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि पर दुकान बनाकर संस्था की आय में वृद्धि करना नगर पंचायत का गुरूतर दायित्व है। नगर के समस्त जलीय श्रोतो का संरक्षण नगर पंचायत द्वारा किया जाता है।

बिन्दु सं0 6– याची/शिकायत कर्ता द्वारा एफ0एस0टी0पी0 के निर्माण की जो शिकायत की जा रही है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त संयत्र उन क्षेत्रों के लिए प्रभावकारी होता है जहॉ सम्पूर्ण अपमिश्रित जल एक ही प्वाइंट पर एकत्रित किया जा सके। नगर पंचायत कदौरा की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की नही है। उक्त संयत्र जहॉ एक तरफ अत्याधिक खर्चीला है वहीं दूसरी तरफ यह अभी तक कुछ नगर निगम एवं बड़ी नगर पालिकाओं में ही निर्मित हो पायी है। ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन हेतु

MRF सेन्टर निर्माण हेतु प्रयास किये जा रहे है, कूड़ा जलाना अपराध की श्रेणी का है नगर पंचायत सफाई कर्मी ऐसा कार्य न करने हेतु वचनवद्व है। इस प्रकार एफ0एस0टी0पी0 का निर्माण नगर पंचायत की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत करते हुये उपयोगी प्रतीत नहीं होता है।

बिन्दु सं0 7– सदर तालाब में आने वाले मुख्य बाजार के निकट का नाला पूरी तरह से कंकरीट के माध्यम से बन्द करा दिया गया **(सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटो संलग्न)** है। मुख्य बाजार में जो नाला बना हुआ है उसमें जाली लगी हुयी है एवं उक्त नाले के माध्यम से केवल वर्षा जल ही सदर तालाब में जाता है इससे कोई अपमिश्रित जल प्रवाहित नही होता है। रामघाट के पास के नाले के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त नाले को कहीं से भी डायवर्ट किया जाना सम्भव नही है। अतः इस नाले के अपमिश्रित जल को शोधित करने हेतु अवर अभियन्ता द्वारा सबसे उपर्युक्त विकल्पों में से चयन हेतु विशेषज्ञो से परामर्श लेते हुए कार्ययोजना **(डी0 पी0 आर0)** तैयार की गयी है जो संलग्न है।

बिन्दु सं0 8– नगर पंचायत कदौरा के द्वारा आय सृजन एवं सदर तालाब के पुनुरूद्वार हेतु तालाब के पूर्वी तट पर जिन दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है वह परिक्षेत्र राजस्व टीम के चिन्हांकन में पहले भी शामिल नहीं था और न ही दिनांक 19.03.2021 के द्वारा पुनः कराये गये चिन्हांकन में शामिल है तत्सम्बन्धित नजरी नक्शा एवं लेखपाल की रिपोर्ट संलग्न है। महोदय को यह भी अवगत कराना है कि इन दुकानों के बन जाने के बाद जहॉ एक तरफ आय का सृजन होगा वहीं दूसरी तरफ सदर तालाब का सौन्दर्यीकरण भी हो जायेगा और उक्त तालाब में गंदगी फैलाने की सम्भावना भी समाप्त होगी।

बिन्दु सं0 9– याची/शिकायतकर्ता का यह आरोप लगाना कि नगर पंचायत कदौरा के द्वारा हरे भरे एवं फलदार वृक्षों को कटवाया जा रहा है नितान्त ही असत्य है। सभी छायादार पेड़ पूरी तरह से सुरक्षित है **(सुलभ सन्दर्भ हेतु फोटो संलग्न)** है, केवल आसपास की बेतरतीब कटीली झाड़ियों को हटाया गया है जिसकी फोटो लेकर नगर पंचायत को वेवजह आरोपित किया गया है। नगर पंचायत कदौरा अपने सीमित संसाधनों से नगर को साफ सुथरा करने के लिये प्रतिवद्व है। याची द्वारा अपने घर के सामने लगी शिल्ट ना उठाने की शिकायत की गयी है एवं इसके कारण परिवार को बीमारी का खतरा बताया गया है। उल्लेखनीय है कि शिल्ट सफाई का कार्य नगर निकाय द्वारा तत्परता से किया जाता है। इस सम्बन्ध में याची या आस पास के किसी वासिन्दे द्वारा निकाय स्तर पर कोई शिकायत नही की गयी है बल्कि याची द्वारा अपनी याचिका को रंगत देने के उदे्श्य से उक्त तथ्य अंकित किया गया है।

बिन्दु सं0 10– याची/शिकायतकर्ता का यह कहना है कि नगर पंचायत कदौरा में अवैध रूई फैक्ट्री संचालित है, पूर्णतया गलत है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केवल सर्दियों के मौसम में स्थानीयं व्यक्तियों द्वारा रजाई गद्दों की मरम्मत/रजाई गददा भरने का कार्य किया जाता है। जिससे स्थानीय निवासियो को मौसम के अनुसार अत्यन्त आवश्यकता होती है।

बिन्दु सं0 11– नगर पंचायत कदौरा में, शासन द्वारा एम0 आर0 एफ0 सेण्टर के लिए जो धन उपलब्ध कराया गया है उसके सन्दर्भ में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है परन्तु उक्त चिन्हित जमीन पर कुछ राजस्व सम्बन्धी विवाद हो जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नही कराया जा सका जैसे ही विवाद की समाप्ति अथवा नई जमीन का चिन्हांकन होने पर उक्त कार्य कों प्राथमिकता से पूर्ण करा लिया जायेगा जिससे कूड़े का वैज्ञानिक निस्तारण सहज हो जायेगा। साथ ही नगर पंचायत कदौरा द्वारा अपने सीमित संसाधनों से क्रय की जानी वाली श्रेडर मशीन का अधिष्ठापन

कर ठोस अपशिष्ट का प्रभावी निष्पादन किये जाने की योजना बनायी गयी है। याची/शिकायतकर्ता द्वारा सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अब तक न बनाये जाने का विषय उठाया गया है एवं अन्य ट्रीटमेन्ट व्यवस्थाओं को लागू न करने के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये है के वावत अवगत कराना उचित होगा कि उक्त सभी व्यवस्थायें राज्य सरकार के निर्णयो से आच्छादित है जिनकी स्थापना संचालन आदि में अत्याधिक धनराशि का प्राविधान होता है। चूंकि शासन समग्र रूप से व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करता है न कि निकाय विशेष के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है निकाय द्वारा प्राप्त निर्देशो के आलोक में अनुपालन किया जाता है उपरिवर्णित ट्रीटमेण्ट प्लाटों की स्थापना हेतु धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त नही की गई है।

उपरोक्त बिन्दुवार आख्या महोदय की सेवा में इस आशय से सादर प्रेषित है कि याची/शिकायतकर्ता द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अनावश्यक मनगढन्त शिकायते की जा रही है। अतः सम्यक दृष्टिपात करते हुए शिकायत निक्षेपित करने की कृपा करें।

25.03.21 25/3/21 25/03/21

(सुनील कुमार सिंह)
अधिशाषी अधिकारी,
नगर पंचायत कदौरा

ना० तहसी०

(शशिबिन्द द्विवेदी)
तहसीलदार कालपी

(पी०के०सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि–रा)
जालौन स्थान–उरई।

लेखपाल
कदौरा

राज० निरीक्षक
कदौरा

पहले

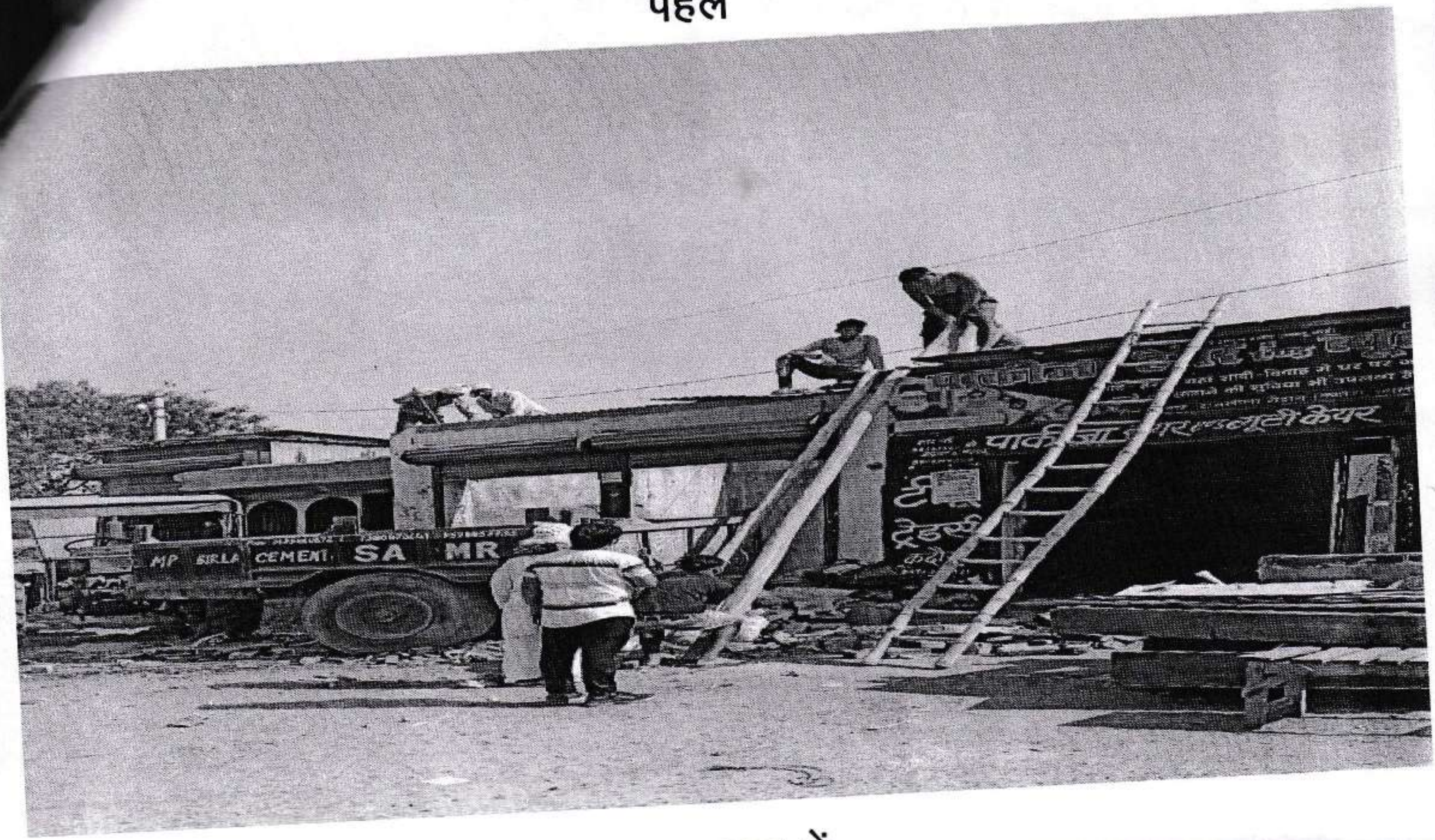

बाद में

महोदय,

मौजा कदौरा तह० कालपी में N.Z.A खतौनी में लाल गाटा संख्या 586 रकवा 2.679 हे० भूमि अंकित है। नक्शा के अनुसार भी पैमाइश के दौरान उक्त रकवा पाया गया है परन्तु पैमाइश के दौरान 0.141 हे० भूमि ल्याई कब्जा पाया गया है शेष रकवा 2.538 हे० भूमि सुरक्षित पड़ी है।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

26.3.21

महोदय

लेखपाल आख्या प्रेषित है।

रा०नि० कदौरा
26-3-21

महोदय,

उपरोक्त लेखपाल/RI आख्या सादर अग्रसारित है।

Pankaj
26/3/21

सदर तालाब के किनारे बना पेरिफेरियल ड्रेन

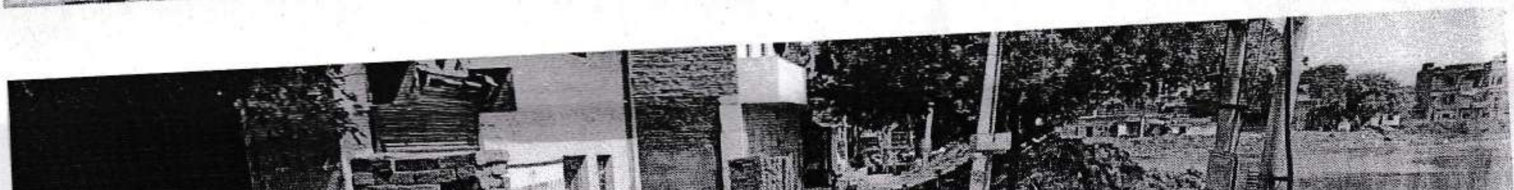

सदर तालाब के किनारे पेरिफेरियल ड्रेन बन जाने से निम्न छोटे–छोटे इनलेट तालाब में जाना बन्द हो गया

–(24.03.2021)–

1.

2.

3.

Latitude: 25.986305
Longitude: 79.834697
Elevation: 179.17 m
Accuracy: 2.1 m
Time: 27-02-2021 17:38
Note: तलाब में जाने बाला पानी बंद

4.

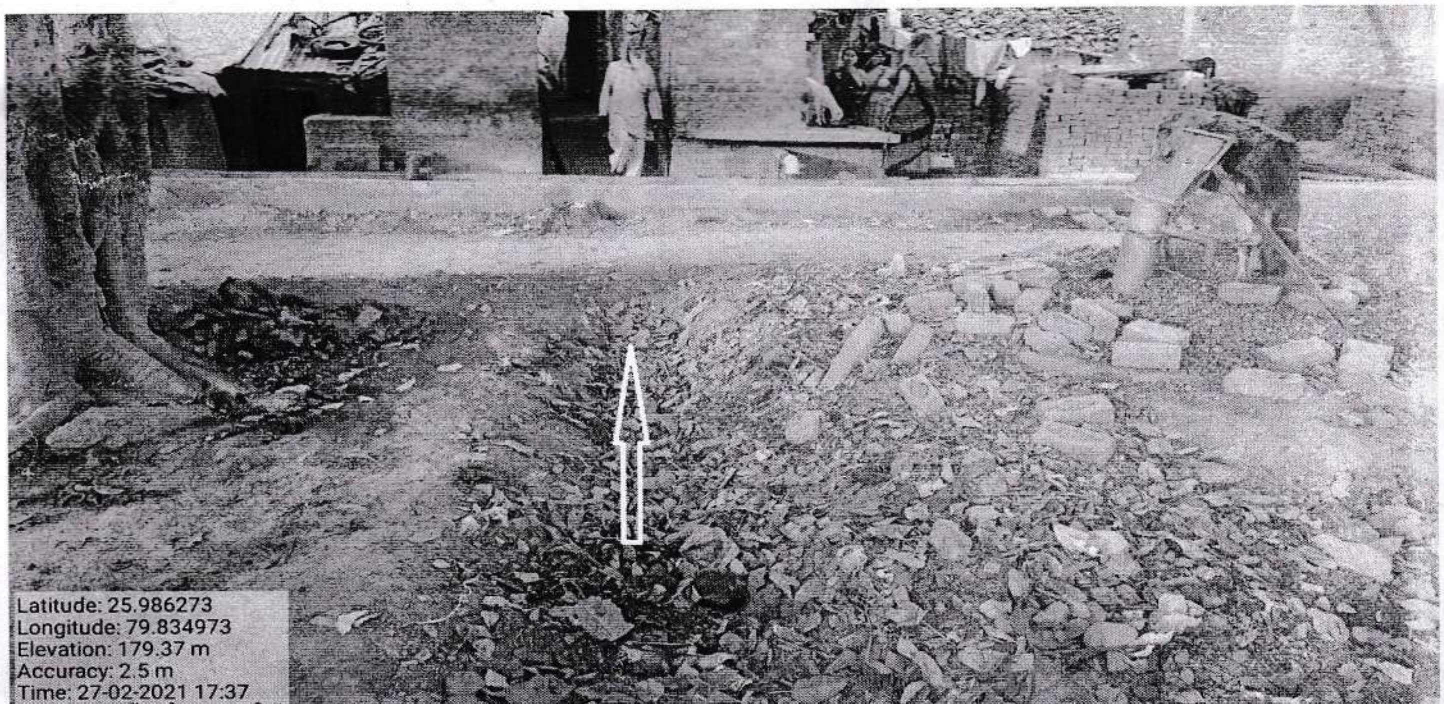
Latitude: 25.986273
Longitude: 79.834973
Elevation: 179.37 m
Accuracy: 2.5 m
Time: 27-02-2021 17:37
Note: तलाब में जाने बाला पानी बंद

5.

Latitude: 25.985935
Longitude: 79.835687
Elevation: 183.27 m
Accuracy: 1.5 m
Time: 27-02-2021 17:32
Note: तलाब मे जाने बाला पानी बंद
Powered by Note

मुख्य बाजार में स्थित नाली में लगा जाल

सदर तालाब के चारों ओर सुरक्षित रूप से मौजूद वृक्षों की स्थिति

(24.03.2021)

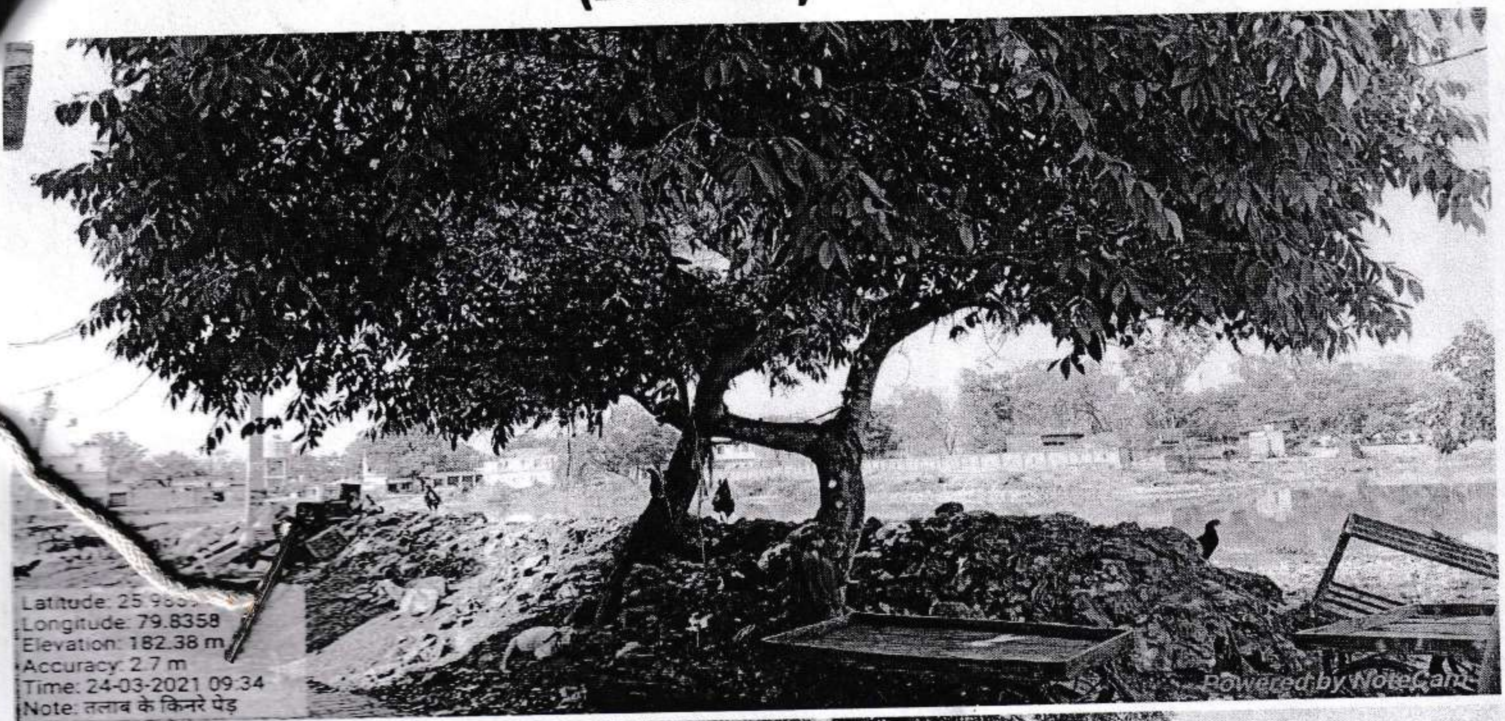

सदर तालाब के चारों ओर सुरक्षित रूप से मौजूद वृक्षों की स्थिति

–(24.03.2021)–

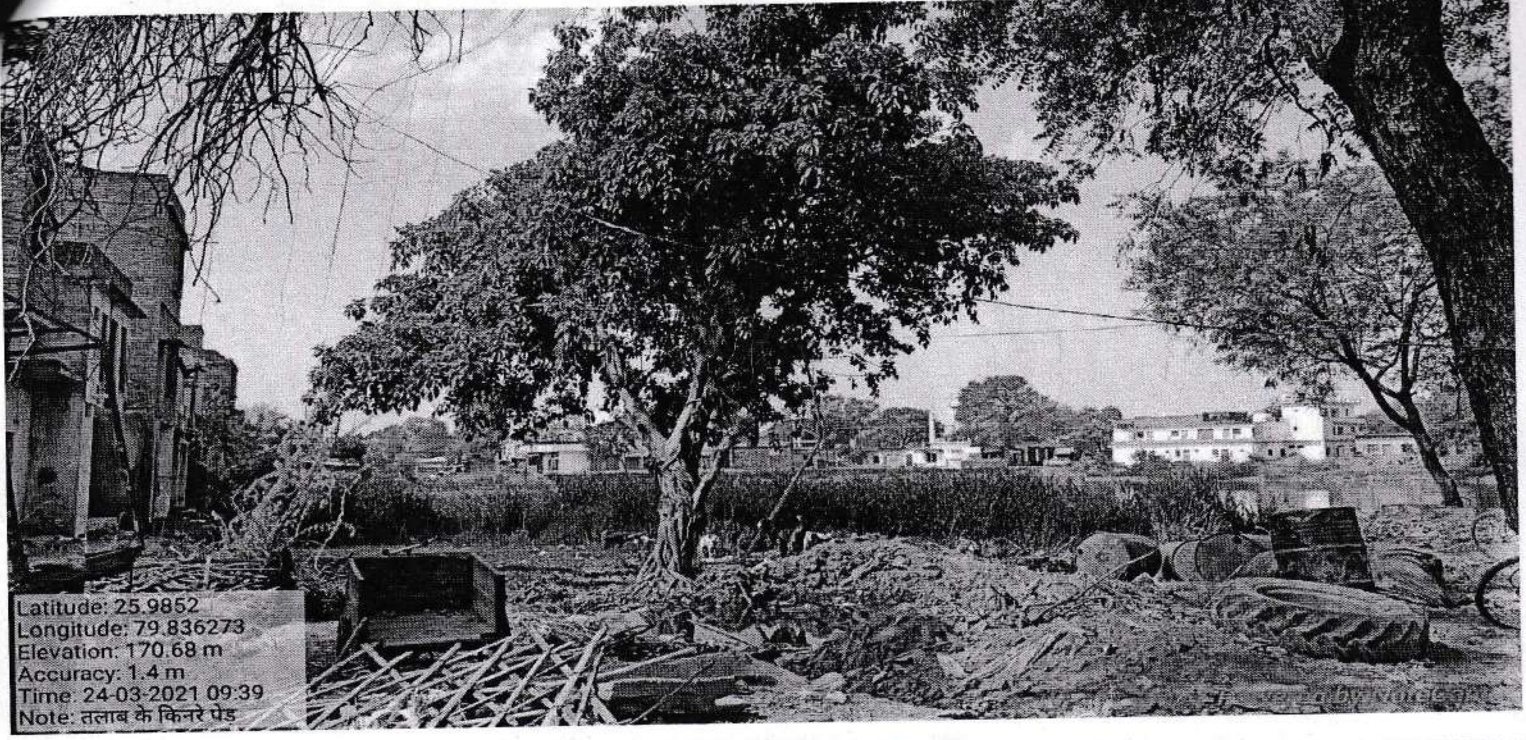

सदर तालाब के चारों ओर सुरक्षित रूप से मौजूद वृक्षों की स्थिति

–(24.03.2021)–

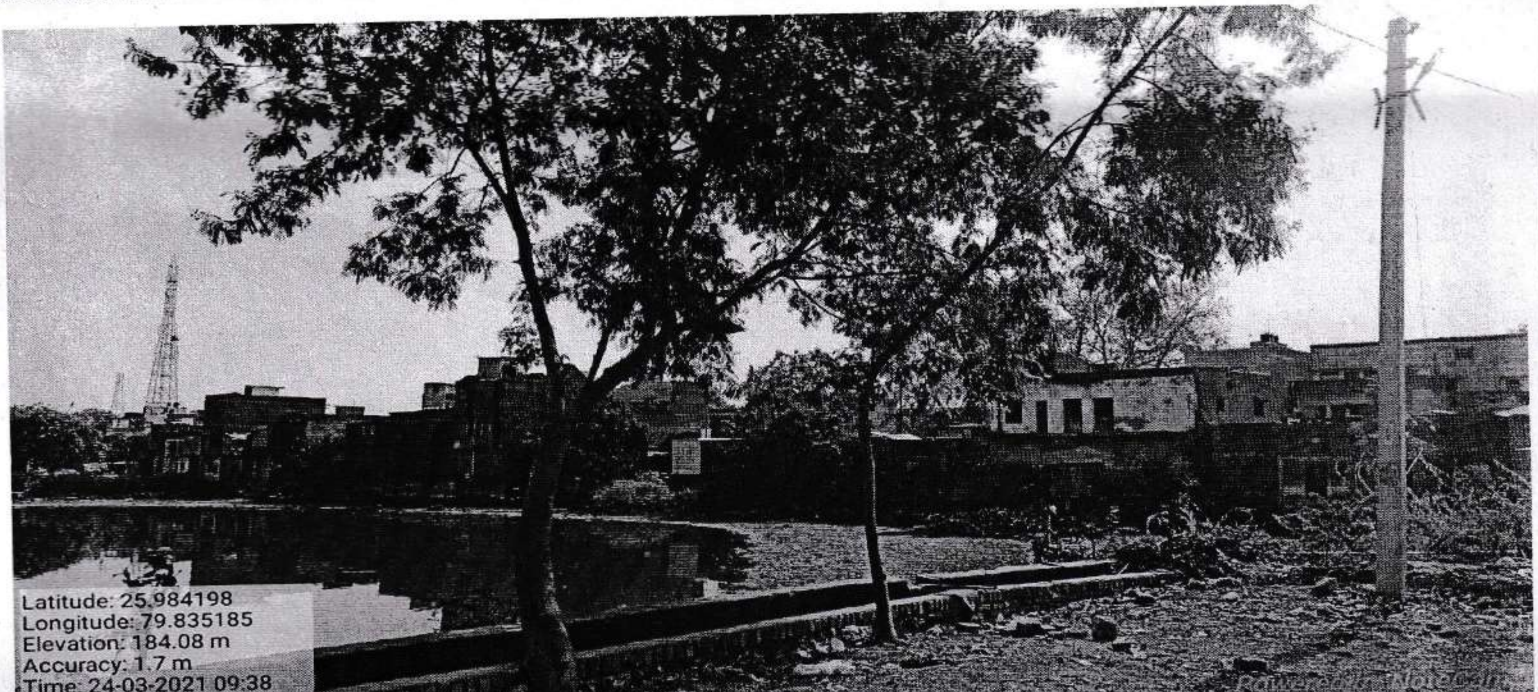

सदर तालाब के चारों ओर सुरक्षित रूप से मौजूद वृक्षों की स्थिति

–(24.03.2021)–

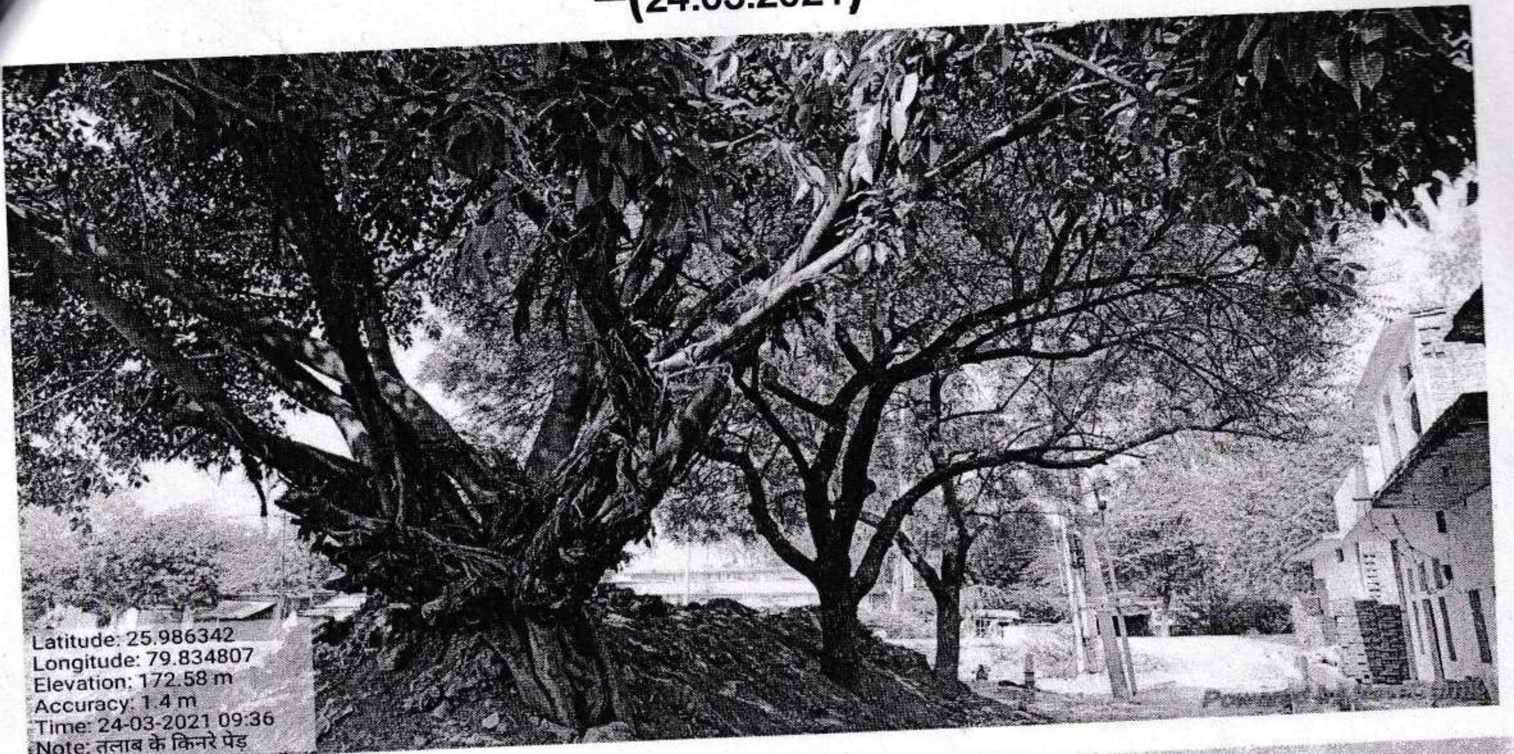

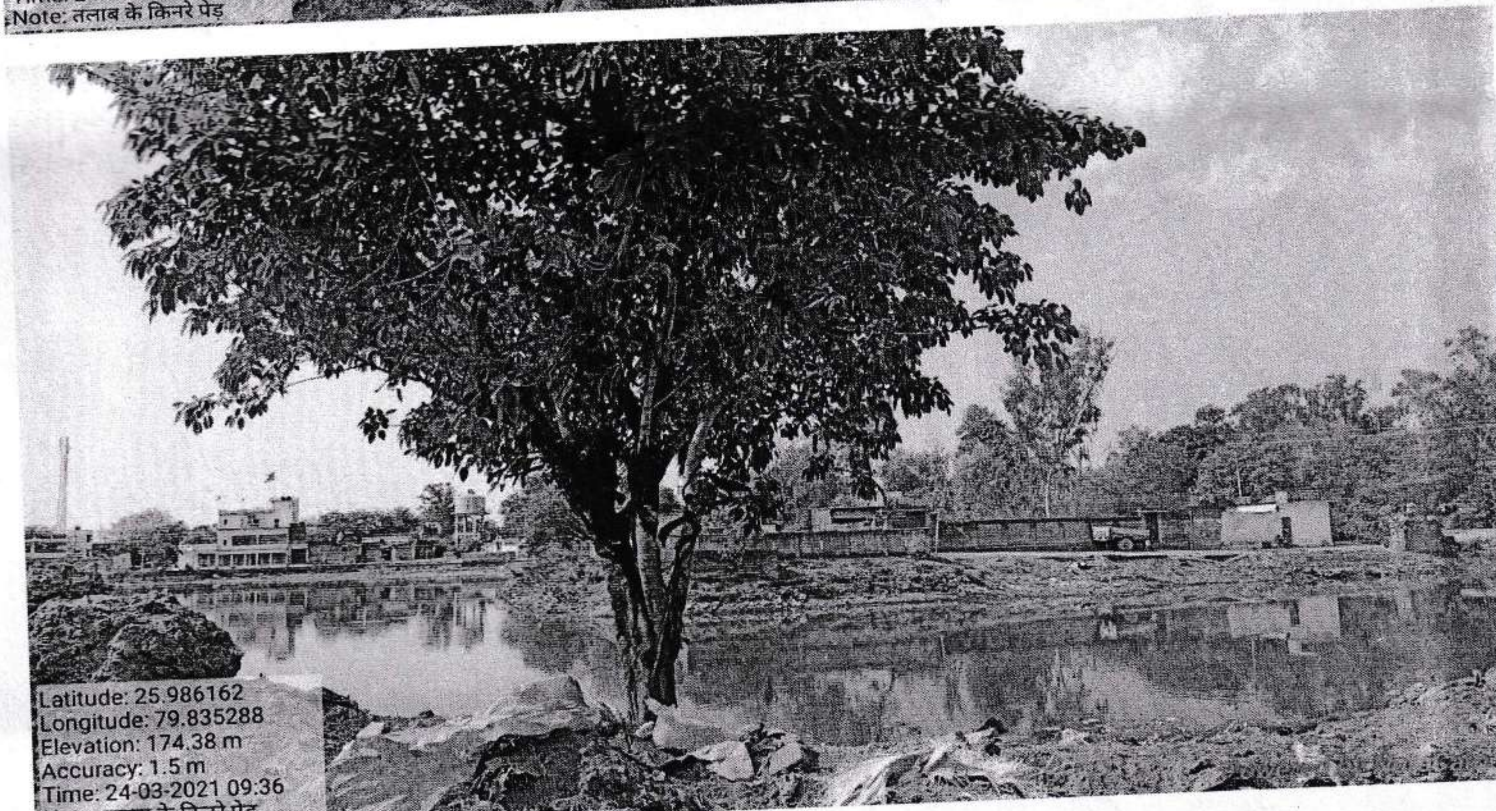

सदर तालाब के चारों ओर सुरक्षित रूप से मौजूद वृक्षों की स्थिति

–(24.03.2021)–